भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 162B/2017-18

1. अनंत महतो 2. कृष्ण चन्द्र महतो **बनाम** श्रीमति चंचला देवी

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
30-12-17		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1046 दिनांक 11.11.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 162 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1.श्री अनंत महतो पिता-स्व0 विनोद महतो 2. श्री कृष्ण चन्द्र महतो पिता स्व0 बुधु महतो, ग्राम-मानिक बाजार, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता श्रीमति चंचला देवी पति फुलेश्वर महतो, ग्राम-बांधडीह, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बड़ाकांकड़ा	258	56	93/अं0	0.37एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के पिता क्रमशः विनोद महतो एवं बुधु महतो एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेतागण अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। प्रति आवेदकों के पास 2.22½ एकड़ भूमि है जिसमें से प्रति विक्रेता 0.18½एकड़ कुल 0.37 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् प्रति विक्रेता 2.04 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.37 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

ह0/- 30/12/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner